



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2021
फाल्गुन 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या 21/2021/132पी/6-पु-6-2021-300(79)-2016
लखनऊ, 25 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-103

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1533पी/छ-पु-6-2016-300(79)-2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में-

(क)	पुलिस थाना पटवाई से संबंधित क्रम संख्या 15 में, अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 और 4 में निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात्:-
	91. ग्राम मिलक निब्बी सिंह
	सदर
(ख)	पुलिस थाना सिविल लाइन से संबंधित क्रम संख्या 3 में, प्रविष्टि संख्या 96 के पश्चात् अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 और 4 में निम्नलिखित प्रविष्टियां बढा दी जायेंगी, अर्थात्:-
	97. मिलक निब्बी सिंह
	सदर

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवरथी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 21/2021/132P/VI-pu-6-2021-300(79)-2016, dated February 25, 2021 :

No. 21/2021/132P/VI-pu-6-2021-300(79)-2016

Dated Lucknow, February 25, 2021

In pursuance of the provisions of clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1533P/VI-pu-6-2016-300(79)-2016, dated November 30, 2016.

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification :-

(a)	In serial no. 15 relating to police station Patwai, the following entries in Column nos. 3 and 4 of the Schedule shall be <i>omitted</i> , namely :-		
	91.	Milak Nibbi Singh	Sadar
(b)	In serial no. 3 relating to police station Civil Line after entry no. 96 the following entries in Column nos. 3 and 4 of the Schedule shall be <i>inserted</i> , namely :-		
	97.	Milak Nibbi Singh	Sadar

By order,

AWANISH KUMAR AWASTHI,

Apar Mukhya Sachiv.